संख्या 801 /14–XIX–2/89 खाद्य/2013

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 04 मार्च, 2014

विषयः **राष्ट्रीय जनगणना, 2011 के तहत उत्तराखण्ड राज्य की 1,01,16,800 आबादी में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुल 61.94 लाख आबादी के अतिरिक्त राज्य की शेष 39,22,800 आबादी को खाद्यान्न मुहैय्या कराने के लिये "उत्तराखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना" का प्रारम्भ एवं योजना के अन्तर्गत 39,22,800 को प्रतिमाह 10 कि0ग्रा0 गेहूँ ₹ 6.10 की दर से तथा 05 कि0ग्रा0 चावल ₹ 8.45 की दर से परिदान कराये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 26.02.2014 को दिये गये प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है, कि उत्तराखण्ड राज्य की 1,01,16,800 आबादी में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित 61.94 लाख आबादी के अतिरिक्त जो परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित न हो रहे हों, ऐसी राज्य की अवशेष 39,22,800 आबादी को खाद्यान्न मुहैय्या कराने के लिये **"उत्तराखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना"** का प्रारम्भ एवं इस योजना के अन्तर्गत 39,22,800 आबादी को प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड 10 कि0ग्रा0 गेहूँ ₹ 6.10 की दर से तथा 05 कि0ग्रा0 चावल ₹ 8.45 की दर से परिदान कराया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का प्रारम्भ प्रदेश में तत्काल लागू समझा जायेगा जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य की अवशेष 39,22,800 आबादी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 से लाभान्वित न हो रही है के **"ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय रू0 5.00 लाख या उससे अधिक हो तथा आयकर दाता के रूप में Second Slab (20%) के आयकर दाता हो"** को छोड़ते हुये शेष आबादी के सभी परिवार **'उत्तराखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा'** योजना से आच्छादित होंगे। उक्त योजना प्रदेश में दिनांक 01.07.2014 से प्रारम्भ की जायेगी, तब तक पुराने राशनकार्डों के आधार पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।

क्रमशः ..... 2 पर

अतः राज्य की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, 2013 से लाभान्वित न होने वाली प्रदेश की अवशेष आबादी 39,22,800 उपरोक्तानुसार रेखांकित को छोड़ते हुये सभी राशनकार्ड धारकों के लिये प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड 10 कि0ग्रा0 गेहूँ रू0 6.10 प्रति कि0ग्रा0 तथा चावल 05.00 कि0ग्रा0 रू0 8.45 प्रति कि0ग्रा0 की दर से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार),
सचिव।

पृष्ठांकन सं0 /14—XIX—2/89 खाद्य/2013 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2— सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री जी, उत्तराखण्ड।
3— निजी सचिव, मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी उत्तराखण्ड।
4— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5— सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय टॉवर, माजरा, देहरादून।
7— संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
8— अनु सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
9— मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
10— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11— सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढवाल सम्भाग/कुमायूँ सम्भाग, देहरादून/हल्द्वानी।
12— समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13— वित्त नियन्त्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
14— महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, देहरादून।
15— सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढवाल सम्भाग/कुमाँयू सम्भाग ।
16— एनआईसी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रविनाथ रामन),
अपर सचिव।